Murder of Mizo Leader

2431. Shri Kameshwar Singh:
Shri A. Sreedharan:
Shri Nihal Singh:
Shri Shrichand Goel:
Shri Shiva Chandra Jha:

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 869 on the 30th March, 1966 and state.

(a) the result of the enquiry regarding the murder of Shri Laimana, former Mizo Leader, and

(b) the measures taken to safeguard the security of Mizos?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) According to the information furnished by the State Government 8 persons were arrested and were in jail custody during investigation. They escaped from Aijal jail on 4-3-1966 when Mizo hostiles fired on the jail and other places at Aijal Information is still awaited from the State Government whether they have been traced or re-arrested The State Government had also earlier reported that there was no evidence against those persons in the murde case, though they would be liable for prosecution for eccape from lawful custody In the murder case itself a final report had been sent on 22-6-1966

(b) Our security forces are continuously on the alert. A scheme of limited grouping has also recently been implemented, covering all the villages within ten mile belt of either side of Silchar-Aijal-Lungleh road.

मण्डन मिश्र का स्मारक

2432. श्री बुधानन्द ठाकुर :
श्री मधु लिमये :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मिथिला के एक प्राचीन विद्वान श्री मण्डन मिश्र का स्मारक उनके जन्म स्थान (महणों) जिला सहरसा (बिहार) में बनाने का है, जिस पर कालीदास तथा विद्यापति के स्मारक बनाये गये हैं ,

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) यदि नही, तो ऐसा न करने के क्या कारण है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नही उठता ।

(ग) सरकार का विचार है कि आमतौर पर इन मामलो मे पहल करने की बात उपयुक्त स्वैच्छिक सगठनो और राज्य सरकारों पर छोड़ देनी चाहिए, यदि वे ऐसा चाहे ।

बर्मा से आये हुए विस्थापित लोगों का पुनर्वास

2433. श्री निहाल सिंह :
श्री ब्रह्मानन्दजी :
श्री यशवन्त सिंह कुशवाह :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री विश्वपूजन शास्त्री :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार बर्मा से आ रहे विस्थापित व्यक्तियो को केवल नाममात्र की सुविधाएं दे रही है जब कि पाकिस्तान से आ रहे विस्थापित व्यक्तियो के लिये वह मुफ्त रोजगार, शिक्षा सम्बन्धी सुविधाओं आदि की व्यवस्था कर रही है ,

(ख) यदि हा, तो इस भेद भाव के क्या कारण है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि बर्मा से आ रहे विस्थापित व्यक्तियो ने केन्द्रीय सरकार से यह अनुरोध किया है कि उन्हें बिहार मे पूर्णिया जिले के कटिहार नगर मे बसाया जाये

और उनके लिये सभी सुविधाओं की व्यवस्था कर दी जाये ; और

(घ) यदि हां, तो उनके अनुरोध पर क्या निर्णय किया गया है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) और (ख). शिविरों मे रह रहे बर्मा से लौटे भारतीय तथा पूर्व पाकिस्तान से आये प्रव्रजकों को दी गई सुविधाओ का ब्यौरा सभा पटल पर रखे गये विवरण में दिया गया है। [पुस्तकालय मे रखा गया। देखिये संख्या LT/—641/67] यह देखा जायेगा कि उनके लाभ के लिये मजूर की गई सुविधाओ में कोई विशेष अन्तर नही है ।

(ग) और (घ). केन्द्रीय सरकार को कोई ऐसी प्रार्थना प्राप्त नही हुई है किन्तु बिहार सरकार द्वारा बर्मा मे लौटे भारतीयो के 107 परिवारो को कटिहार मे बसाया गया है। इन परिवारों में से 106 को व्यापार ऋण तथा दुकानें बनाने के लिये ऋण मंजूर किये जा चुके हैं। सभी परिवारों को मकान अलाट कर दिये गये है । उनको 3 महीने के लिये भरण पोषण अनुदान मजूर कर दिया गया है ।

प्रथम श्रेणी के अधिकारी

2435. **श्री नाथूराम अहिरवार** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के प्रत्येक विभाग में प्रथम श्रेणी के अधिकारियों की पृथक पृथक संख्या कितनी है ; और

(ख) उन अधिकारियों में प्रत्येक राज्य के कितने कितने लोग है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख). सूचना एकत्रित की जा रही है और यथाशीघ्र सदन के सभा पटल पर रख दी जायगी ।

प्रथम श्रेणी के अधिकारियों के आरक्षित पद

2436. **श्री नाथूराम अहिरवार** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों के अधीन काम करने वाले प्रथम श्रेणी के अधिकारियों मे कितने अधिकारी भारतीय प्रशासन सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय विदेश सेवा तथा भारतीय चिकित्सा सेवा (आई० एम० एस०) के हैं ;

(ख) क्या आरक्षित पदों पर इन अधिकारियो की वर्तमान संख्या पिछले पन्द्रह वर्षों मे हुए कुल रिक्त पदों के अनुसार है ;

(ग) यदि इन पदो पर उन अधिकारियों की पूरी तरह नियुक्ति नही की गई तो उसके क्या कारण है ; और

(घ) क्या सरकार का विचार इस दिशा में कोई सुधार करने का है और यदि हा तो क्या ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) भारतीय चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सेवा का अभी तक गठन नही हुआ है। केन्द्रीय तथा राज्य सरकारो के अधीन नियुक्त अन्य सेवाओ के अधिकारियों की वर्तमान संख्या इस प्रकार है :—

भारतीय प्रशासन सेवा .	2325
भारतीय पुलिस सेवा .	1341
भारतीय विदेश सेवा 'क' .	279
भारतीय विदेश सेवा 'ख' (वर्ग–I श्रेणी–I) .	101

(ख) जी नही श्रीमान । पिछले पन्द्रह वर्षों (1952–1966) मे भारतीय प्रशासन सेवा भारतीय पुलिस सेवा तथा भारतीय विदेश सेवा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों की भरती में कमी का प्रतिशत सभा पटल पर रखे गये विवरण में दिखाया गया है । [पुस्तकालय